न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी श्री नरेश सोनी आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर :— 226 / 2019

प्रार्थीगण :—

1. मूलाराम पुत्र रूपाराम
2. भैराराम पुत्र रूपाराम
3. भीखीदेवी पत्नी रूपाराम
4. हेमराज शर्मा पुत्र मूलाराम सभी जाति ब्राह्मण

सभी निवासीयान खार की ढाणी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर ।

बनाम

विप्रार्थीगण :—

1. हिमताराम पुत्र जेठाराम
2. झीमादेवी पत्नी जेठाराम

3/1. गोधुराम पुत्र भलाराम

3/2. चुतराराम पुत्र भलाराम

3/3. चैनाराम पुत्र भलाराम

3/4. अचलाराम पुत्र भलाराम

3/5. मुलीदेवी पत्नी भलाराम

4.हीराराम पुत्र रूपाराम

5.देदाराम पुत्र रूपाराम

6.झीपाराम पुत्र रूगनाथराम

7.पुनमाराम पुत्र रूगनाथराम

8.भगाराम पुत्र रूगनाथराम

9. ईश्वरराम पुत्र रूगनाथराम सभी जातियान कुम्हार

10. राजस्थान राज्य जरीये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए (1) राजस्थान टीनेन्सी एक्ट 1955</u>

उपस्थित :— 1. श्री अचलाराम थोरी वकील प्रार्थीगण

2. विप्रार्थीगण :— एकपक्षीय

<u>आदेश</u> दिनांक :— 06.09.2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:02:07 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण [illegible] री भूमि के खसरा नम्बर 100 रकबा 65—01 बीघा [illegible] गोलसोढा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर [illegible] कृषि उपयोग हेतु तक विप्रार्थीगण के खसरा संख्या 216/94 व 259/99 भूमि [illegible] संलग्न नजरी नक्शा में परिशिष्ट 'अ' में दर्शाये मार्क बरंग लाल से मार्क ए से बी 3 गट्टा चौड़ा रास्ता के उपयोग हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रकरण दर्ज कर जरिये नोटिस विपार्थीगण की तलबी की गयी। विपार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गयी। आवेदन के तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार पचपदरा से मौका

रिपोर्ट तलब की गयी । भू०अभिलेख निरीक्षक तिलवाड़ा से मौका रिपोर्ट पेश की गयी । जिस पर प्रार्थीगण वकील ने एतराज पेश कर पुनः मौका रिपोर्ट तलब हेतु निवेदन

किया गया । दिनांक 19.1.2022 को तहसीलदार पचपदरा को पुनः तहरीर जारी होने कि गयी । जो रिपोर्ट प्राप्त नही होने पर दिनांक 6.4.2022 को भू०अभिलेख निरीक्षक टुकड़ा को रिपोर्ट पेश हेतु सूचित किया गया जो दिनांक 29.8.2022 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट में जाहिर किया गया कि प्रार्थी के खसरा संख्या 259/99 में से मौका फर्द संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता मांगा है जो कि 259/99 के बीच में है तथा खसरा संख्या 259/99 में दो टुकड़े कर रहा है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ता नजदीक है परन्तु वो रास्ता काटाण नहीं है ।खसरा संख 258/99 व 259/99 की माठ पर ढाणीयां बनी हुई है जहां पर रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जा सकता तथा विपार्थीगण के द्वारा भी एतराज पेश किया गया । विप्राथी ने खसरा संख्या 99 व 259/99 के बीच माठ पर रास्ता देने की मौखिक सहमति दी है, परन्तु प्रार्थी के अनुसार वहां धोरा (टीला) होने के कारण रास्ता सम्भव नहीं है । इस प्रकार खसरा संख्या 259/99 व 100 के बीच की माठ पर कही कम व कही ज्यादा धोरे है।प्रस्तावित नक्शे में रास्ते हेत तीन विकल्प व रास्ते की दूरिया दर्शायी गयी है । दिनांक 6.9.2022 को प्रार्थी मूलाराम द्वारा शपथ पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 29.8.2022 को तैयार कि गयी माफिक रिपोट पडौसी खसरान मे से हमारे खातेदारी खसरा संख्या 100 में आवागमन का रास्ता घोषित किया गया । प्रार्थी ने जाहिर किया कि मेरे द्वारा प्रकरण प्रस्तुत करने के बाद एक और प्रकरण मगाराम वगेरा पेश किया गया है जिस पर पडौसी खसरान व शपथकर्ता की खातेदार भूमि खसरा संख्या 100 में रास्ता चाहा गया है । इस प्रकरण में न्यायालय में 29.8.2022 के अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है तो खसरा संख्या 101 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 100 के सेढे के पास रास्ता दे दूगा जिस हेतु पाबन्द रहूगा । साथ मे यही भी बताया कि मौका फर्द में निकटतम रास्ता बताया गया है । तथा विप्रार्थीगण ने जहां से सहमति दी वहां पर रास्ता सम्भव नहीं है क्योंकि मौके पर रेत के बडे -बडे टीले है, इसलिए उक्त स्थानों पर रास्ता घोषित करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, हां यह जरूरी है की प्रार्थी के द्वारा चाहे गये स्थान से खेत के दो भाग हो रहे है किन्तु इससे कोई क्षति व नुकसान नहीं होगा इस स्थान [illegible] अन्य कोई नजदीक वह वैकल्पिक रास्ता नहीं है मौका रिपोर्ट को मुख्य नक्शा [illegible] किया गया है। माफिक प्रार्थना पत्र 6 मीटर चौडा [illegible] किये जाने का निवेदन किया गया ।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी । दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रार्थी मूलाराम के शपथ पत्र में अंकित तथ्यों का का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि विप्रार्थीगण ने जहां से सहमती दी है वहां ,

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:02:07 IST
Reason: SelfAttested

पर रास्ता सम्भव है क्योंकि मौके पर रेत के बड़े–बड़े टीले है इसलिए इस स्थान पर रास्ता घोषित करने का कोई औचित्य नहीं रहेगा प्रार्थीगण के चाहे गये स्थान पर खेत के दो भाग हो रहे है किन्तु इससे कोई हानि व नुकसान नहीं होगा । उक्त स्थान के अलावा अन्य कोई नजदीक का वैकल्पिक रास्ता नहीं है । इस सम्बन्ध में प्रार्थी संख्या –1 मूलाराम ने शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि मेरे खातेदारी खेत खसरा संख्या 100 मे प्रस्तावित मौका फर्द दिनांक 29.8.2022 के नक्शे में प्रस्तावित अनुसार रास्ता घोषित हेतु सहमति प्रदान करते हुए निवेदन किया कि इस प्रकरण को पेश करने के पश्चात एक अन्य प्रकरण मगाराम वगै0 मे मेरे खेत खसरा 100 मे से रास्ता चाहा गया है यदि इस प्रकरण मे दिनांक 29.8.2022 की मौका फर्द में प्रस्तावित रास्ता 96 गट्ठा घोषित किया है तो मे मेरे पडोसी खसरान 101 मे आवागमन हेतु मेरे खेत खसरा संख्या 100 के सेढे के पास रास्ता दे दुगा जिस हेतु पाबन्द हूँ व पाबन्द रहूंगा । अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण खेतीहर कृषक है प्रार्थीगण नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि देने को तैयार है । अतः मौका दिनांक 29.8.2022 में प्रस्तावित विकल्प संख्या 3 प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता घोषित कर के आदेश फरमाएं ।

हमने विद्ववान प्रार्थीगण के अधिवक्ता बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा भू.अ.नि. दूधवा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नक्शा दिनांक 29.8.2022 का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा मौजा खार की ढाणी पटवार क्षेत्र गोल सोढा , भू अभिलेख निरीक्षक दूधवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर के खसरा नम्बर 100 रकबा 65–01 बीघा का खातेदार है जो 251 आर.टी.ए एक्ट के तहत कृषि कार्य हेतु आवागमन हेतु रास्ता पाने का अधिकारी है। भू.अ.नि. दूधवा की रिपोर्ट के अवलोकन से सपष्ट है कि 96 गटठा रास्ता, आवागमन के लिए एकमात्र विकल्प है क्योंकि खसरा संख्या 99 में से दर्शित 48 व 70 गट्ठा प्रस्तावित रास्ता भले ही नजदीक हो लेकिन रास्ता रेतीला व टीलो स्थान का है जैसा प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र में तथ्य अंकित किए है एव मौका रिपोर्ट में भी अंकन है । खसरा संख्या 100 के खातेदार ने भी - शपथ–पत्र दिया है कि यदि 96 गट्ठा प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाता है, तो प्रार्थी नक्शे में दर्शित बरंग लाल अनुसार खसरा संख्या 100 मे से खसरा संख्या 101 के खातेदार को रास्ते देने के लिए सहमत है, जो रास्ता दिये जाने में बाध्य रहेगा, प्रस्तावित रास्ता 96 गट्ठा दिया जाना उचित है जो सुविधाजनक है वह अन्य कोई वैकल्पिक सुविधाजनक रास्ता उ[illegible] होने के कारण मौका दिनांक 29.8.2022 मे प्रस्तावित 96 गट्ठा रास्ता [illegible] दृष्टिकोण से प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार [illegible] है । प्रार्थीगण क्षति[illegible] राशि देने हेतु भी सहमत है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:02:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मौका फर्द दिनांक 29.8.2022 के अनुसार प्रस्तावित रास्ता 96 गट्ठा स्वीकार किया जा कर प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 100 रकबा 65–01 बीघा सरहद मौजा खार ढाणी पटवार क्षेत्र गोल सोढा भू अभिलेख निरीक्षक दूधवा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर में खेतीहर कार्य हेतु

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

आवागमन के लिए प्रार्थीगण के खसरा संख्या 100 रकबा 65—01 बीघा मे से एवं विप्रार्थीगण खेत खसरा संख्या 259/99 में से प्रस्तावित नक्शे अनुसार बरंग लाल 96 गट्ठा गैरमुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश पारित किये जाते है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि प्रस्तावित रास्ते (96 गट्ठा) मे कटाण होने वाली भूमि की डी.एल.सी की क्षतिपूर्ति राशि निर्धारण करने हेतु विप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित करावें । संबधित खातेदारान द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं करने की स्थिति में राशि राजकोष में जमा की जाकर तहसीलदार पचपदरा नियमानुसार उक्त रास्ते की भूमि का राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें।

मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 29.08.2022 इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा व इस निर्णय का भाग समझ कर साथ पढा जाएं।

(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) * बालोतरा *

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.10.05 19:02:07 IST
Reason: SelfAttested